

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन' की समीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं। लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि सम्मिलित थी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है और यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।